मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 17, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 139 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

2. स्थगन प्रस्ताव

शिवपुरी जिले के गोपालपुरा में रामबाबू गड़रिया गिरोह द्वारा पांच ग्रामीणों की हत्या किये जाने के संबंध में श्री सज्जन सिंह वर्मा , श्री सत्यदेव कटारे, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामलखन शर्मा, श्री राजनारायण सिंह पुरनी, श्री रामनिवास रावत, श्री आरिफ अकील, डॉ. सुनीलम्, श्री हरिवल्लभ शुक्ला, श्री राजेश पटेल, श्रीमती सरोज बच्चन नायक तथा श्री मनमोहन शाह "बट्टी", सदस्य की सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री सत्यदेव कटारे
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(6) श्री रामनिवास रावत

(7) श्री आरिफ अकील

(8) डॉ. सुनीलम्

(9) श्री हरिवल्लभ शुक्ला

(10) श्री राजेश पटेल

(11) श्री मनमोहन साह "बट्टी"

(12) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चाच् इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी।

(सम्पूर्ण विपक्ष के द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना सबलगढ़ रोड से पहुंच मार्ग नैपरी बृजगढ़ी मार्ग की जर्जर हालत होने,

(2) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य की करैरा नगर की जल आपूर्ति की समस्या हेतु पाईप खरीदी में भ्रष्टाचार होने,

(3) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की भाटीगांव तहसील मैहर जिला सतना के शासकीय हाई स्कूल को बजट आवंटित नहीं होने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के अटेर विकासखण्ड के ग्राम खेराहट में संचालित माध्यमिक विद्यालय में ताला बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने,

(5) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले के गुलाना क्षेत्र के नगर पंचायत पोलायकलां में पेयजल संकट होने,

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के नईगढ़ी में अतिक्रमण हटाने में भेदभाव होने,

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य की जेल पहाड़ी रोड में जहांगीराबाद बाजार तक रोड की जर्जर हालत होने,

(8) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिले में रबी की फसलें खराब होने,

(9) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले के सारणी में एक संवाददाता की वाहन की टक्कर होने से मृत्यु होने, तथा

(10) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की सीतामऊ सड़क मार्ग पर पुलिया का निर्माण न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार चित्रकूट जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 द्वारा श्री एन.पी. सिंह (सेवा निवृत्त) न्यायमूर्ति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर शासन के संकल्प सहित,

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2003-2004 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2004 के लिये,

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राज कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2006-2007 की पहली छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण,

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक-2460-मप्रविनिआ-2006, दिनांक 3 अक्टूबर 2006 ; तथा

(ख) क्रमांक-2461-मप्रविनिआ-2006, दिनांक 3 अक्टूबर , 2006

(5) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

पटल पर रखे।

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 8 नवम्बर, 2006 को सम्पन्न हुई। जिसमें शासकीय विधेयकों पर उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है -

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, (क्रमांक 26 सन् 2006)	
2.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006)	

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि वर्तमान सत्र की अवधि गुरुवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 तक ही रखी जाय।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज दिनांक 08 नवम्बर, 2006 को सायं 07.00 बजे विधान सभा भवन स्थित ऑडिटोरियम में मध्यप्रदेश विधायक क्लब के तत्वाधान में माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें श्री जमीर हुसैन खान भोपाल के द्वारा गजल एवं भजन की प्रस्तुति दी जायेगी।

उक्त कार्यक्रम के पश्चात् माननीय पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है।

माननीय सदस्यों एवं माननीय पत्रकारों से अनुरोध है कि उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रात्रि भोज में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा आज के आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात कही गई)

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों, केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(1.02 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री प्रेमचन्द गूड्डू, अन्तर सिंह दरबार, सदस्य ने इंदौर जिले में विद्युत मण्डल की जामली ग्रिड में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य किया।

(3) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम कटरा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य किया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य रीवा जिले के ग्राम कटरा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने संबंधी ध्यानाकर्ष के मामले पर न्यायिक जांच की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा कुछ समय पश्चात् वापस अपने आसन पर चले गये)

(श्री रामलखन शर्मा तथा वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य द्वारा रीवा जिले के ग्राम कटरा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने संबंधी ध्यानाकर्ष के मामले पर न्यायिक जांच की मांग न मानी जाने एवं शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री अर्जुन पलिया, बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति ने लोक लेखा समिति का 275वां से 303वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री धरमू राय, सभापति ने याचिका समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम अलापुर के पास बराडिया नाले पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने,

(ख) ग्राम अलापुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनाये जाने,

(ग) ग्राम अलापुर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने,

(घ) बड़ोदा नगर की विद्युत समस्या का निदान कराये जाने,

(ङ) बड़ोदा क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(च) श्योपुर-खातोली मार्ग का उन्नयन कराये जाने,

(छ) श्योपुर बायपास मार्ग का डामरीकरण कराये जाने ; तथा

(ज) कस्बा प्रेमसर स्थित उप-स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने,

(3) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने सीहोर जिले के ग्राम नई चदेरी से बिलकिसगंज रोड तक कंक्रीट रोड बनाये जाने,

(4) श्री जयराम सिंह मार्को, सदस्य ने शहडोल जिले के -

(क) ग्राम पैलवाह स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम ओढ़की और बुढ़नवाह स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम बुढ़नवाह में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) ग्राम ओढ़की में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ङ) ग्राम गोहपारू में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,

(च) ग्राम सुड़वार के मुड़धवा नाला पर रपटा-कम-स्टापडेम बनाये जाने,

(छ) ग्राम सुड़वार के माध्यमिक शाला और अहरीटोला में हैण्ड पंप लगाये जाने,

(ज) ग्राम सुड़वार को सड़क मार्ग से जोड़े जाने,

(झ) ग्राम केशवाही स्थित चिकित्सालय में डाक्टर व एम्बुलेंस की व्यवस्था किये जाने ; तथा

(ञ) ग्राम केशवाही में स्नातक महाविद्यालय खोले जाने,

संबंध याचिकाएं प्रस्तुत की।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति चाही।

11. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, श्री रामलखन शर्मा, श्री सत्यदेव कटारे तथा श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न उठाया गया कि मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) में वित्तीय ज्ञापन नहीं है इसलिए इस विधेयक को अभी पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दी कि विचाराधीन विधेयक के खण्डों में कोई व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं है और यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत परिभाषानुसार धन विधेयक भी नहीं है इस लिए वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता इस में नहीं है अत: माननीय सदस्यों की आपत्ति को अमान्य करता हूं।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006)सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में अतिवृष्टि एवं अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अश्विन जोशी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, इन्द्रजीत कुमार, रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(2) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री रामलखन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(7) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(8) श्री लाल सिंह आर्य

(9) श्री अखण्ड प्रताप सिंह
(10) श्री सुनील नायक
(11) श्री शंकरलाल तिवारी
(12) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(13) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला
(14) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(15) श्री कपूरचंद घुवारा
(16) डॉ. सुनीलम्
(17) श्री बृजमोहन धूत
(18) श्री दिलीप भटेरे
(19) श्री अंतर सिंह दरबार
(20) श्री विक्रम सिंह "नातीराजा"
(21) श्री इन्द्रजीत कुमार
(22) श्री वंषमणि प्रसाद वर्मा
(23) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

14. वक्तव्य

प्रदेश में पोलियो बीमारी के उन्मूलन हेतु शासन द्वारा पल्स पोलियो अभियान के सफल आयोजन व क्रियान्वयन के संबंध में श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वक्तव्य दिया।

06.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 18, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.